Research Paper | Literature | E-ISSN No : 2454-9916 | Volume : 4 | Issue : 3 | March 2018

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विशेष केन्द्रीय सहायता योजना से प्रदत्त आर्थिक अनुदानों के जनजातीय जीवन–स्तर पर होने वाले विभिन्न प्रभावों का विश्लेषण (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में)

ADIWASI UPYOJNA KSHETRA ME VISHESH KENDRIYA SAHAYATA YOJNA SE PRADATT ARTHIK ANUDANON KE JANJATIY JEEVAN-STER PAR HONE WALE VIBHINNA PRABHAVON KA VISHLESHAN [BARWANI JILE KE VISHESH SANDRABH ME]

Laxmikant Gupta [1] | Prof. N.L. Gupta [2]

[1] पीएच.डी. शोधार्थी, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)–451551

[2] प्राध्यापक–वाणिज्य, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)–451551

ABSTRACT

भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या की दृष्टि से प्रत्येक समूह का अपना महत्व है। चाहे वो विकसित समुदाय हो या आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा समुदाय हो। लेकिन देश को विश्व में सभी पहलूओं की दृष्टि से समृद्ध बनाना है, तो आवश्यक है कि देश में प्रत्येक समूह का सर्वांगीण विकास किया जाए। इस समाज के अधिकांश लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे है और सरकार ऐसे परिवारों के विकास के लिए अनेक विकासात्मक योजनाएँ संचालित कर रही है। इन सब योजनाओं में जनजाति उपयोजना (Tribal Sub-Plan) सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अन्तर्गत जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए जाते है, जो इन लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर लाने में कारगर होगा।

Keywords: गरीबी की रेखा, जनजाति उपयोजना

प्रस्तावना:

किसी भी देश की कल्याणकारी सरकार देश के प्रत्येक समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध होती है। देश के जनजातीय समुदाय के विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय द्वारा जनजाति वर्ग का सर्वांगीण विकास करने की दिशा में देश की 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजाति उपयोजना (Tribal Sub-Plan) की अवधारणा का उदय हुआ है। जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले जनजातीय परिवारों को हितग्राही मूलक/स्वयं सहायता समूह/समुदाय मूलक/रोजगार सह आय सृजन की गतिविधियों के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है, जो आदिवासियों के आर्थिक–सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने में कारगर प्रयास होगा। जनजाति उपयोजना में ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों/तहसीलों/विकासखण्डों को शामिल किया गया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है।[1] जनजाति बाहुल्यता की श्रेणी में मध्य प्रदेश राज्य भी शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में 21.13 प्रतिशत जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले को भी अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिले के रूप में शामिल किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बड़वानी जिले की कुल जनसंख्या में 69.42 प्रतिशत जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है।[2]

1. शोध समस्या का चयन:

बड़वानी जिले में जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत संचालित परियोजना क्षेत्र को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया हैं, जो परियोजना क्षेत्र बड़वानी एवं सेंधवा है। परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत निवासरत् गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) रहकर जीवन–यापन करने वालें आदिवासी परिवारों के आर्थिक–सामाजिक जीवन पर विशेष केन्द्रीय सहायता के क्या प्रभाव पड़ते है ? इस बिन्दु को आधार बनाकर ही '' आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विशेष केन्द्रीय सहायता योजना से प्रदत्त आर्थिक अनुदानों के जीवन–स्तर पर होने वाले विभिन्न प्रभावों का विश्लेषण (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में)" नामक शोध समस्या का चयन किया गया है। इस शोध कार्य के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों के उन सदस्यों को शामिल किया गया है, जो आदिवासी उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के लाभान्वित हितग्राही है।

2. अध्ययन के उद्देश्य:

शोध कार्य हेतु चयनित शोध विषय का महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नानुसार है–

1. आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विशेष केन्द्रीय सहायता योजना से प्रदत्त अनुदान से हितग्राहियों के जीवन–स्तर पर होने वाले विभिन्न प्रभावों का विश्लेषण करना।

3. अध्ययन का महत्व:

इस शोध कार्य के माध्यम से मध्य प्रदेश के जनजाति बाहुल्य बड़वानी जिले में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता योजना से प्राप्त आर्थिक अनुदान के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के हितग्राहियों के जीवन पर होने वाले विभिन्न प्रभावों की स्थिति पता चल सकेगा, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक उपयोगी बनाया जा सके।

4. अध्ययन का क्षेत्र:

इस महत्वपूर्ण शोध कार्य के लिए अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का चयन किया गया है।

5. निदर्शन प्रक्रिया:

गरीबी की रेखा के नीचे (BPL) जीवन–यापन करने वाले जनजाति परिवारों से संबंधित इस शोध कार्य के लिए निम्न प्रकार से निदर्शन प्रक्रिया अपनाई गई है–

6. अध्ययन के समग्र:

अध्ययन के समग्र के रूप में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के अध्ययन हेतु गाँवों के गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले जनजाति परिवारों को शामिल किया गया है।

7. अध्ययन की इकाई:

समग्र (Universal) में से अध्ययन की इकाई के रूप में बड़वानी जिले के अध्ययन हेतु गाँवों के गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले जनजाति परिवारों में से विशेष केन्द्रीय सहायता से लाभान्वित हितग्राहियों को शामिल किया गया है।

8. उत्तरदाताओं का चयन:

इस शोध कार्य की प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदाताओं का चयन शोध कार्य के निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सोद्देश्य प्रतिचयन विधि (Purposive Sampling Method) से किया गया है। शोध कार्य के लिए उत्तरदाताओं के रूप में जिले में उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत निवासरत् गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आदिवासी परिवारों के विशेष केन्द्रीय सहायता मद से लाभान्वित हितग्राही शामिल है। बड़वानी जिले की दोनों परियोजना क्षेत्र की कुल 9 तहसीलों से कुल 450 लाभान्वित हितग्राहियों का चयन दैव निदर्शन पद्धति से किया गया है।[3] उद्देश्यों को ध्यान में रखते हए जिले की प्रत्येक तहसील से 5 गाँवों का चयन किया गया है। इस आधार पर जिले के कुल 45 (5 X 9) गाँवों का चयन किया गया है। गाँवों के चयन के पश्चात् प्रत्येक गाँव से 10 लाभान्वित हितग्राहियों का चयन अध्ययन के उत्तरदाताओं के रूप में किया गया है। इस प्रकार जिले के कुल 45 गाँवों से 450 उत्तरदाताओं (45 X 10) का चयन अध्ययन की इकाई के रूप में किया गया है।

9. आँकड़ों का संकलन:

इस शोध कार्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक आँकड़ों एवं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन किया गया है।

Copyright© 2018, IERJ. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष:

इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्न प्रकार है–

1. उत्तरदाताओं के जीवन स्तर पर विशेष केन्द्रीय सहायता के प्रभावों के संबंध में प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 96 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनके जीवन–स्तर पर विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रभाव पड़ा है, जबकि मात्र 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जीवन–स्तर पर विशेष केन्द्रीय सहायता के किसी भी प्रकार के प्रभाव नहीं पड़ने का अभिमत प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं के जीवन–स्तर पर विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रभाव पड़ा है।

2. अध्ययन क्षेत्र के जिन उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि विशेष केन्द्रीय सहायता का जीवन–स्तर पर प्रभाव पड़ा है, उनमें से 92 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि पहले की तुलना में जीवन–स्तर में सुधार हुआ है, जबकि 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसके विपरीत अपना अभिमत प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं के जीवन–स्तर में पहले की तुलना में सुधार हुआ है।

3. उत्तरदाताओं के रोजगार पर विशेष केन्द्रीय सहायता के प्रभावों के संबंध में प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि चयनित कुल उत्तरदाताओं में से 90.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि विशेष केन्द्रीय सहायता का उनके रोजगार पर प्रभाव पडता है, जबकि 9.11 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विशेष केन्द्रीय सहायता का रोजगार पर प्रभाव के संबंध में विपरीत अभिमत व्यक्त किया है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं के अनुसार विशेष केन्द्रीय सहायता का उनके रोजगार पर प्रभाव पड़ा है।

3. अध्ययन क्षेत्र के जिन उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि विशेष केन्द्रीय सहायता का उनके रोजगार पर प्रभाव पड़ा है, उनमें से 82.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार विशेष केन्द्रीय सहायता के कारण रोजगार पूर्व की तुलना में बढ़ा है, वहीं 17.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि पहले की तुलना में रोजगार कम हुआ है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं के अनुसार विशेष केन्द्रीय सहायता के कारण रोजगार बढ़ा है।

4. अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति पर विशेष केन्द्रीय सहायता के प्रभावों के संबंध में प्राप्त समंकों से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित कुल उत्तरदाताओं में से 93.56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि विशेष केन्द्रीय सहायता का उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है, जबकि 6. 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार विशेष केन्द्रीय सहायता का उनकी आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं का मानना है कि विशेष केन्द्रीय सहायता का उनकी आर्थिक–स्थिति पर प्रभाव पड़ा है।

5. अध्ययन क्षेत्र के जिन उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि विशेष केन्द्रीय सहायता का उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है, उनमें से सर्वाधिक 89.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार विशेष केन्द्रीय सहायता के कारण पूर्व की तुलना में आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि शेष 10.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि पहले की तुलना में आर्थिक स्थिति खराब हुई है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं के अनुसार विशेष केन्द्रीय सहायता से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

6. विशेष केन्द्रीय सहायता का अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं की आय पर प्रभाव के संबंध में प्राप्त समंकों से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित कुल उत्तरदाताओं में से 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार विशेष केन्द्रीय सहायता का उनकी आय पर प्रभाव हुआ है, जबकि 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि विशेष केन्द्रीय सहायता के कारण उनकी आय प्रभावित नही हुई है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं का मानना है कि विशेष केन्द्रीय सहायता के कारण उनकी आय प्रभावित हुई है।

7. विशेष केन्द्रीय सहायता का अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं की आय पर प्रभाव के संबंध में स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के जिन उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि विशेष केन्द्रीय सहायता का उनकी आय पर प्रभाव पड़ा है, उनमें से सर्वाधिक 96.79 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार विशेष केन्द्रीय सहायता के कारण आय में वृद्धि हुई है, वहीं मात्र 3.21 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि पहले की तुलना में उनकी आय में कमी हुई है। अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि विशेष केन्द्रीय सहायता के कारण अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक उत्तरदाताओं की आय में वृद्धि हुई है।

उपसंहार:

इस शोध कार्य के निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विशेष केन्द्रीय सहायता योजना से प्रदत्त आर्थिक अनुदान के जनजातीय वर्ग के जीवन–स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़तें है।

संदर्भ:

1. Saxena, R.P. (1964), "Tribal Economy in Central India", Firma k.l. mukhopadhyay, Calcutta.
2. भारत की जनगणना, मध्य प्रदेश श्रंखला–24
3. सिंह, श्यामधर (1982), वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, कमल प्रकाशन, इन्दौर (म.प्र.)